न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 11/10 (2010/00057) अपील नामान्तरण

उनवान

1–बखतावर पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रेवत पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–देवा पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–हीरा पिता रामा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सरजु बेवा रामा गुर्जर मुतक के बजाय अपीलान्ट 1 से 4 वारीस के साथ श्री लेहरू पिता रामा गुर्जर विधिक वारीसान है जिसमें 1 से 4 का नाम पहले से ही अपीलान्ट के रूप में दर्ज होने से शेष श्री लेहरू पिता रामा को 5/1 के रूप में कायम मुकाम दर्ज किया गया

अपीलार्थीगण

बनाम

1–बालु पिता रामा गुर्जर निवासी सबलपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2–लादु पिता रामा गुर्जर निवासी सबलपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3–देवा पिता रामा गुर्जर निवासी सबलपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय–
3/1–तेजु पिता देवा गुर्जर निवासी सबलपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय–
3/1/1 नारायण पिता तेजु गुर्जर निवासी सबलपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3/2–लाडु पिता देवा गुर्जर निवासी सबलपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3/3–रूकमा पुत्री देवा गुर्जर निवासी सबलपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4–काना पिता रामा गुर्जर निवासी सबलपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेन्ट्स

नामन्तरणकरण संख्या 280 दिनांक 29.12.2001 ग्राम थेरियाकाखेड़ा के विरूद्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. एमएस. बापना, सुनील बापना – **अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
1. हरिश टेलर – **अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स**

निर्णय

दिनांक 23.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थीगण सख्या 1 लगायत 4 स्व. रामा पिता मुतबन्ना सोला गुजर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर के पुत्र है एवं अपीलार्थीगण संख्या 5 स्व. रामा पिता मुतबन्ना सोला गुजर निवासी थोरियाखेड़ा की विधवा है। स्व. रामा पिता मुतबन्ना सोला गुजर सन् 95 से पहले ही फोथ हो गये थे जिनके फोथ होने पर ग्राम थोरियाखेड़ा स्थित खाता संख्या 90 जमाबन्दी संवत 2054 में दर्ज आराजियात संख्या 280, 281, 311, 326, 338, 339, 340, 348 से 351, 368 से 365 किता 14 रकबा 47 बिघा 04 बिस्वा जरिये इन्तकाल संख्या 241 के दिनांक 30.09.95 को अपीलार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई थी। स्व. रामा पिता मुतबन्ना सोला गुजर के नाम पर अन्य खतेदारान के नाम के साथ खाता संख्या 28 में आराजी नम्बर 375 रकबा 1 बिघा 8 बिस्वा पाल स्थित है जिसके बाबत् इन्तकाल संख्या 280 दिनांक 29.12.2001 को फैलस किया जिसमें रेस्पोडेन्टस का नाम विरासत में दर्ज कर दिया जबकि रामा पिता मुतबन्ना सोला गुजर निवासी थोरियाखेड़ा के अपीलान्ट्स वारीस होकर उत्तराधिकारी है और रेस्पोडेन्ट्स का कोई लेना देना नही। स्व. रामा पिता किसना को सोला गुर्जर गोत्र तेडवा निवासी थेरियाखेडा ने जाति रिवाज के अनुसार गोद लिया गोद पत्र का

निष्पादन 25.01.48 को सोला जी ने किया जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार ठिकाना देवगढ़ में दिनांक 27.01.48 को हुआ। गोदनामे की फोटोप्रति अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अपील की कलम नम्बर 2 में अकिंत आराजियात की पानड़ी भू–प्रबन्ध विभाग की सोला जी वल्द चतरा गुर्जर के नाम की फोटो प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है उक्त राजस्व रेकार्ड एंव पंजीकृत गोद पत्र के आधार पर यह बखुबी प्रमाणित है कि अपीलान्ट्स ही स्व. रामा पिता मुतबन्ना सोला गुजर निवासी थोरियाखेड़ा के वारीस है और रेस्पोडेट्स का अपीलान्ट्स की आराजी से कोई लेना देना नही है केवल नाम कोमन मिल जाने से रेस्पोडेट्स ने अपीलान्ट्स की बहुकिमती जायदाद को अपने नाम कराने का एकमात्र षड़यन्त्र पटवारी हल्का से मिलकर रचा है जबकि वास्तविकता कुछ ओर ही है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट्स की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.12.2001 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.07.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। ओर तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा प्रकरण संख्या 5/2002 दिनांक 12.11.2002 को बाद सुनवाई कार्यवाही ड्रोप की गई थी उस निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की गई जो 50/03 दर्ज होकर दिनांक 02.02.2006 को अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 12.11.2002 को निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रति प्रेषित किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

दोराने सुनवाई अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया की खातेदार रामा मुतबन्ना सोला के नाम की भूमि की विरासत जरिये नामान्तरणकरण 280 के विपक्षीगण के नाम कर दी गई जो गलत है मृतक के विधिक वारीस अपीलान्ट है जिनके नाम विरासत की कार्यवाही करने का आदेश फरमावें इसी के साथ यह भी निवेदन किया कि लादु ने विपक्षी द्वारा एक प्रकरण 23/2003 लादु बनाम बखतावर का पेश किया गया जो 09.12.2003 को खारीज हो चुका है ऐसी स्थिति में मृतक की विरासत अपीलान्ट के नाम स्वीकार फरमावे।

विपक्षी अध्विक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य तर्क प्रस्तुत किया कि नामानतरणकरण संख्या 280 दिनांक 29.12.2001 नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा निर्णत किया गया है जिसे अपील सुनवाई का अधिकार श्रीमान् को नही है ओर अपील खारीज करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। खातेदार रामा मुतबन्ना सोला गुर्जर के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड है ओर जिसकी विरासत दौराने राजस्व अभियान रेस्पोडेन्ट्स के नाम हुई है इस प्रकरण में अपीलान्ट के पास खातेदार सोला के द्वारा किया गया गोदनामे का दस्तावेज है जिसकी प्रति इस पत्रावली में प्रस्तुत की गई है जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित कि भूमि रामा मुतबन्ना सोला के नाम की है।

विपक्षी रेस्पेडेन्ट्स का कथन है कि इन्ही पक्षकरो के मध्य अन्य प्रकरण विचाराधीन है जिसे यह इस अपील में कार्यवाही ड्रोप योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि नामान्तरकरण नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा निर्णित किया गया है जिससे अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नही है ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरणकरण निर्णित किया जाता तो इस नयायालय को सुनवाई का अधिकार था।

मै विद्वान रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता की बात से सहमत नही हुँ चुंकि अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है पूर्व लादु बनाम बखतावर के अनवन का प्रकरण विचाराधीन था जो खारीज हो चुका है ओर इन पक्षकारो के मध्य इसी विवादित भूमि को लेकर कोई प्रकरण विचाराधीन नही है। दुसरा तर्क अपील के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी जो पेश किया है कानुनी रूप से उचित नही है। चुंकि निर्विवादित नामान्तरणकरण को निर्णित करने की

शक्तियां ग्राम पंचायत को भू राजस्व अधिनियम के तहत् दे रखी है किन्तु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभियानों के तहत् पेडिंग नामान्तरणकरण को निर्णित करने एवं शिविर के दिन ही दर्ज नामान्तरकरण को निस्तारण करने हेतु ग्राम पंचायत की उक्त शक्तियां जो धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) के तहत् दे रखी है वो शक्तियां राजस्व अभियान के तहत् संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारो को नामान्तरणकरण करने की शक्तियां सरकार के द्वारा दी जाती है और उन्ही शक्तियो के तहत् शिविरो के दौरान तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) के तहत् निर्विवादित नामान्तरणकरण निर्णित करते है निर्विवादित नामान्तरणकरण चाहे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा निर्णित किये जाते हो उसकी अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को है धारा 135 (2) के तहत् कोई नामान्तरणकरण निर्णित किया जाता है तो उसकी सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नही है।

इस प्रकरण में दौराने अभियान नामान्तरणकरण 280 नायब तहसीलदार के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) के तहत् निर्णित किया है जिसकी अपील सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है इसलिये विपक्षी अधिवक्ता का तर्क स्वीकार योग्य नही है। उपरोक्त विवरण के आधार पर मैं इस निष्कर्स पर पहुँचा कि प्रस्तुत नामान्तरणकरण 280 दिनांक 29.12.2001 राजस्व अभियान के दौरान निर्णित किया है जिसकी अपील स्वीकार की जाकर मृतक खातेदार रामा मुतबन्ना सोला गुर्जर के फोथ होने से उनके विधिक वारीसान की जांच कर विरासत की कार्यवाही तहसीलदार रायपुर आदेशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 280 दिनांक 29.12.2001 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि मुतक रामा मुतबन्ना सोला गुर्जर गोत्र तेड़वा निवासी थोरियाखेड़ा की खातेदारी भूमि ग्राम थोरियाखेड़ा की साबिक आराजी नम्बर 375 रकबा 1 बिधा 8 बिस्वा की विरासत नवीन आराजी अनुसार मृतक के विधिक वारीसान की जांच कर नियमानुसार विरासत की कार्यवाही की जावें। प्रकरण काफी पुराना होने से इसे प्राथमिकता देते हुए आगामी कार्यवाही शिघ्र करे आदेश की प्रति तहसीलदार रायपुर को भिजावें। पत्रावली फैसेल शुमार होकर बाद दाखला नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.1.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.28 18:09:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: